

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 144 / 18

सैनी उर्फ शुभम पुत्र महाराज सिंह जाटव आयु  
21 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 16 गांधी नगर गोहद,  
तहसील गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध  
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 146 / 18

राजेंद्र सिंह पुत्र विजयराम जाटव आयु 45 वर्ष  
निवासी अम्बेडकर नगर गोहद चौराहा वार्ड 17  
गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध  
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 149 / 18

सुनील पुत्र वीर सिंह जाटव आयु 25 वर्ष निवासी  
वार्ड नंबर 17 गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला  
भिण्ड म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध  
पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

23-04-2018

आवेदक/अभियुक्त सैनी उर्फ शुभम सिंह की ओर से गंभीर सिंह  
निगम अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त राजेंद्र सिंह की ओर से श्री आर0एस0  
त्रिवेदिया अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त सुनील सिंह की ओर से श्री बी0एस0 यादव  
अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक  
अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 81/18 अंतर्गत धारा 188,  
147, 148, 149 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 144/18 आवेदक सैनी

उर्फ शुभम का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है व जमानत आवेदन क्रमांक 146/18 आवेदक राजेंद्र सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० का है एवं जमानत आवेदन क्रमांक 149/18 आवेदक सुनील सिंह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 का है। एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण उक्त तीनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक आवेदक/अभियुक्त सैनी उर्फ शुभम सिंह की ओर से गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता व आवेदक/अभियुक्त राजेंद्र सिंह की ओर से श्री आर०एस० त्रिवेदिया अधिवक्ता तथा आवेदक/अभियुक्त सुनील सिंह की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० का खारिज हो जाने के उपरांत संबंधित प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

सभी आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर उभयपक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण सैनी उर्फ शुभम, राजेंद्र सिंह व सुनील सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि कथित अपराध में उन्हें गलत रूप से अभियुक्त बनाया गया है, आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है तथा अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में सम्मानिय न्यायदृष्टांत बल्लू यादव उर्फ बलवीर सिंह यादव विरुद्ध म०प्र० राज्य 2014 (111) एमपीडब्लूएन 24 एवं विपिन गर्ग विरुद्ध म०प्र० राज्य 2014 (1) एमपीडब्लूएन 102 प्रस्तुत किये गये हैं।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उन्हें निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 02.04.18 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के आदेश से कस्बा गोहद में धारा 144 दं०प्र०सं० लागू की गई थी। दिनांक 03.04.18 को एसडीएम गोहद के हमराह पटवारी संदीप जैन, महेंद्र सिंह, आशीष सेंगर कस्बा गोहद में ड्यूटी पर थे।

करीब एक बजे का समय होगा गोलम्बर तिराहा पर बिल्लू पुत्र धर्मवीर गुर्जर, छुन्ना गुर्जर, निशांत बरैया उर्फ पिंकी, बेदराम जाटव, सचिन जाटव, गंगाराम जाटव, जीतू गुप्ता, राजेंद्र मिर्धा, बॉबी गुप्ता, पंकज गुप्ता, विशाल मांझी, अनिल मांझी, संजीव कोरकू, एवं अन्य करीब 200 लोगों ने अपने हाथों में लाठी डण्डा जैसे घातक हथियार लेकर एकत्रित होकर बल या हिंसा का प्रदर्शन करते हुये नारेबाजी करते हुये जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी संदीप जैन द्वारा की गई रिपोर्ट पर से धारा 188, 147, 148, 149 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आवेदकगण सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामला विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित होना व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना एवं लोकशांति भंग होना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत दोनों सम्माननीय न्यायदृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाने के कारण उनका कोई लाभ आवेदक पक्ष का नहीं दिया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदकगण सैनी उर्फ शुभम, राजेंद्र व सुनील की ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद